

अध्याय-॥
राजस्व क्षेत्र

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

2.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुसूची आँकड़े निम्न तालिका-2.1.1 में दिए गये हैं।

तालिका-2.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

		(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	6,414.25	7,355.34	8,338.47	9,377.79	10,897.31
	• करेत्तर राजस्व	1,602.88	1,316.54	1,110.44	1,219.66	1,345.82
	योग	8,017.13	8,671.88	9,448.91	10,597.45	12,243.13
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों ¹ के निवल आगमों का अंश	3,272.88	3,573.38	3,792.30	5,333.19	6,411.57
	• सहायता अनुदान	4,457.21	5,075.27	7,005.34	5,303.79	6,234.27
	योग	7,730.09	8,648.65	10,797.64	10,636.98	12,645.84
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	15,747.22	17,320.53	20,246.55	21,234.43	24,888.97
4.	1 से 3 की प्रतिशतता	51	50	47	50	49

स्रोत: वित्त लेखें।

वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत (₹ 12,243.13 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किया गया। शेष 51 प्रतिशत (₹ 12,645.84 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ था।

2.1.2 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उद्ग्रहीत कर राजस्व का विवरण निम्न तालिका-2.1.2 में दिया गया है।

¹ नोट: विवरण हेतु, कृपया उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों (खण्ड-II) में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण सं.-14 देखें। "राज्य को समनुदेशित निवल आगमों का अंश" के अंतर्गत आँकड़ों को मुख्य लेखाशीर्ष-0020-निगम कर, 0021-आय एवं व्यय पर कर, 0032-सम्पत्ति पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क तथा 0044-सेवा कर जो वित्त लेखों में 'अ-कर राजस्व' के अंतर्गत इंट्राज किया गया है, को राज्य द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व से निकाल दिया गया है एवं उपर्युक्त तालिका में 'विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों के राज्यांश' में सम्मिलित किया गया है।

तालिका-2.1.2: उद्यहीत कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		वास्तविक 2015-16 के सापेक्ष वास्तविक 2016-17 में होने वाली वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	
1.	बिक्री, व्यापार पर कर	4,088.10	4,289.41	4,847.22	4,902.91	5,459.01	5,464.84	6,209.81	6,105.43	7,323.31	7,153.76	(+17.17)
2.	राज्य आबकारी	942.15	1,117.92	1,149.25	1,269.29	1,345.40	1,486.66	1,799.33	1,735.39	2,199.27	1,905.54	(+9.80)
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	573.95	648.40	640.40	686.71	708.79	714.06	777.22	870.67	1,202.34	777.58	(-10.69)
4.	मोटर वाहनों पर कर	275.00	304.29	320.00	368.83	360.00	393.70	435.00	470.87	610.00	556.40	(+18.16)
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	60.00	2.71	100.00	64.66	100.00	192.65	175.00	114.76	350.00	188.56	(+64.31)
6.	भू-राजस्व	8.55	10.59	8.15	21.65	9.05	39.26	17.12	27.88	26.76	159.51	(+472.13)
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	17.50	23.13	24.41	23.47	25.01	25.26	27.01	28.37	379.70	126.53	(+346.00)
8.	अन्य	15.00	17.80	22.00	17.82	16.00	22.04	23.00	24.42	25.30	29.43	(+20.52)
	योग	5,980.25	6,414.25	7,111.43	7,355.34	8,023.26	8,338.47	9,463.49	9,377.79	12,116.64	10,897.31	(+16.20)

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व 2012-13 में ₹6,414.25 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹10,897.31 करोड़ (69.89 प्रतिशत) हो गये। यह वृद्धि 2015-16 के सापेक्ष 16.20 प्रतिशत थी। बिक्री, व्यापार कर से प्राप्त राजस्व न केवल राजस्व कर (65.65 प्रतिशत) में मुख्य अंश के रूप में सम्मिलित हुये बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में भी 17.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये:

बिक्री एवं व्यापार कर: कर दाता पर अनुश्रवण इकाईयों द्वारा प्रभावी नियंत्रण एवं मुद्रा स्फीति के कारण राजस्व प्राप्ति में गत वर्ष के सापेक्ष 17.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: 2015-16 की तुलना में विलेखों के पंजीकरण में कमी होने के कारण वर्ष 2015-16 के सापेक्ष 2016-17 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क में 10.69 प्रतिशत की कमी हुई थी।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: उपभोक्ताओं से विद्युत देयकों की अपेक्षाकृत अधिक वसूली के कारण राजस्व प्राप्ति में 2015-16 के सापेक्ष 2016-17 में 64.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अन्य विभागों द्वारा भिन्नता हेतु कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2017)।

2.1.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उद्यहीत करेत्तर राजस्व का विवरण निम्न तालिका-2.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.3: उद्यहीत करेत्तर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		वास्तविक 2015-16 के सापेक्ष वास्तविक 2016-17 में होने वाली वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	
1.	ऊर्जा	84.00	150.04	122.55	121.11	122.55	45.01	143.00	168.57	351.30	130.08	(-)22.83
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	35.00	114.76	44.83	51.12	33.10	108.17	51.00	89.22	96.60	71.77	(-)19.56
3.	वानिकी एवं वन्य जीव	296.71	238.20	309.34	362.70	342.06	351.24	415.86	357.47	506.75	318.21	(-)10.98
4.	लोक निर्माण	16.16	18.13	9.15	15.51	19.11	28.29	24.92	13.96	27.41	51.08	(+)265.90
5.	विविध सामान्य सेवायें	11.00	25.85	3.55	48.74	21.00	8.26	24.00	(-)5.50	26.40	(-)6.16	(+)12.00
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	11.82	38.72	3.73	32.38	19.13	33.50	32.90	43.19	36.19	38.90	(-)9.93
7.	पुलिस	10.11	10.98	11.21	13.39	11.47	16.51	16.01	11.18	17.61	17.43	(+)55.90
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	23.16	30.00	22.10	44.04	24.52	37.78	37.95	76.86	99.27	78.70	(+)2.39
9.	सहकारिता	2.21	1.38	2.23	9.78	2.01	1.17	2.50	2.26	2.75	2.87	(+)26.99
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	2.37	7.65	2.42	6.75	2.42	9.22	5.75	7.92	9.70	6.97	(-)11.99
11.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	131.00	109.85	151.00	249.99	301.00	223.72	501.00	272.65	551.10	335.17	(+)22.93
12.	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	584.63	857.32	534.15	361.03	909.09	247.57	813.17	176.38	1,068.34	300.80	(+)70.54
	योग	1,208.17	1,602.88	1,216.26	1,316.54	1,807.46	1,110.44	2,068.06	1,219.66	2,793.42	1,345.82	(+)10.34

स्रोत: वित्त लेखे।

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व में घटने की प्रवृत्ति देखी गई। तथापि, इसमें 2015-16 से 2016-17 में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई। पिछले वर्षों की तुलना में 2015-16 एवं 2016-17 में वृद्धि क्रमशः ₹ 109.22 करोड़ (9.84 प्रतिशत) एवं ₹ 126.16 करोड़ (10.34 प्रतिशत) थी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये:

सहकारिता: समिति/संस्थाओं द्वारा राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 26.99 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण मध्यस्थता शुल्क, आर टी आई शुल्क एवं राजस्व वसूली अधिक जमा किया जाना था।

लोक निर्माण: 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण राजस्व प्राप्ति में 265.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वानिकी एवं वन्य जीव: वन उत्पाद के परिवहन शुल्क एवं लीसा (रेसिन) की बिक्री में कमी के कारण राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 10.98 प्रतिशत की कमी हुई।

अन्य विभागों द्वारा भिन्नता हेतु कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2017)।

2.1.4 राजस्व बकायों का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को ₹ 7,648.31 करोड़ के राजस्व बकायों में से ₹ 1,279.93 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसाकि निम्न तालिका-2.1.4 में वर्णित है।

तालिका-2.1.4: राजस्व बकाया

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को कुल बकाये की राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2017 को 5 वर्षों से अधिक बकाये की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग के उत्तर
बिक्री, व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	7,435.65	1,263.87	₹ 653.33 करोड़ (2,456 प्रकरण) की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है एवं शेष ₹ 6,782.32 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं।
विद्युत पर कर एवं शुल्क	177.99	0.00	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लंबित शुल्क की वसूली हेतु नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
सहकारिता	3.29	3.28	वसूली हेतु माँग जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से संसाधित की गयी है।
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	21.92	9.7	₹ 13.65 करोड़ की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है। शेष प्रकरणों में वसूली (₹ 8.27 करोड़) हेतु माँग संसाधित की गयी है।
वाहनों पर कर	8.64	2.44	उन्नीस प्रकरण (₹ 0.15 करोड़) न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किये गये हैं।
राज्य आबकारी	0.60	0.60	₹ 0.25 करोड़ की धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अन्य प्रकरणों में धनराशि (₹ 0.35 करोड़) की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।
मनोरंजन कर	0.22	0.04	₹ 0.02 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
योग	7,648.31	1,279.93	

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

2.1.5 बकाया निर्धारण

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों का विवरण, कर निर्धारण योग्य प्रकरणों, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों एवं वर्ष के अन्त में अन्तिमीकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण जैसाकि बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर के संबंध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निम्न तालिका-2.1.5 में दिया गया है।

तालिका - 2.1.5: बकाया कर निर्धारण

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारण योग्य नए प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2016-17 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में अवशेष	निस्तारण की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	1,07,228	94,061	2,01,289	76,088	1,25,201	37.80

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

वर्ष 2016-17 के दौरान कर निर्धारण योग्य नए मामलों की संख्या वर्ष के दौरान निपटाए गये मामलों की संख्या से अधिक हो गई। इसलिए लम्बित प्रकरणों के संचय को रोके जाने के लिए विभाग को त्वरित कर निस्तारण हेतु अपने प्रयास में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।

2.1.6 वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के प्रकरणों, अन्तिमीकृत प्रकरणों तथा वर्ष 2016-17 में

उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्न तालिका-2.1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.6: करापवंचन

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2016-17 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिसमें कर निर्धारण/जाँच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2017 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि	
बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	343	2,174	2,517	1,941	68.56	576
मनोरंजन कर	122	382	504	411	0.07	93

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

वर्ष के आरम्भ में बकाये प्रकरणों की संख्या की तुलना में वर्ष के अन्त में बिक्री एवं व्यापार से सम्बन्धित करों/मूल्यवर्धित कर के बकाया प्रकरणों की संख्या में वृद्धि तथा मनोरंजन कर के प्रकरणों की संख्या में कमी हुई। विभाग द्वारा मांग की गई राशि के सापेक्ष वसूल की गई राशि को सूचित नहीं किया गया था (दिसम्बर 2017)।

2.1.7 कर वापसी के प्रकरण

वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में कर वापसी के लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार कर वापसी एवं वर्ष 2016-17 के अन्त में लम्बित प्रकरण, जैसाकि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्न तालिका-2.1.7 में दिए गये हैं।

तालिका-2.1.7: कर वापसी प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर अधिनियम	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	737	23.36
वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,227	54.15
वर्ष के दौरान की गई वापसी	3,936	43.31
वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1,028	34.20

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम 2005, की धारा 36 (3) में यह व्यवस्था है कि यदि वापसी दो माह पश्चात् की जाती है तो ब्याज नों प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय होगा। ब्याज दायित्व से बचने के लिए राज्य सरकार को समय में कर वापसी के दावों का निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड निर्धारित लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, लेन-देनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएँ तथा जिनको स्थल पर निस्तारित नहीं किया गया, को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) में सम्मिलित करते हुये निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को शीघ्र सुधार की कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों को नि प्र की प्राप्ति की दिनांक से चार सप्ताह के अन्दर नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। गम्भीर अनियमितताएँ विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

जून 2017 के अंत तक 1,091 नि प्र से सम्बन्धित 2,431 लेखापरीक्षा निष्कर्ष बकाया थे जिसमें ₹ 583.02 करोड़ की धनराशि अन्तर्निहित थी। पूर्ववर्ती दो वर्षों हेतु तदनुपरूपी आँकड़ों सहित विवरण निम्न तालिका-2.1.8 में दर्शाये गये हैं।

तालिका-2.1.8: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	922	977	1,091
बकाया लेखापरीक्षा निष्कर्षों की संख्या	1,985	2,150	2,431
अन्तर्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	188.66	264.99	583.02

2.1.8.1 30 जून 2017 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण निम्न तालिका-2.1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.9: विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

विभाग का नाम	प्राप्त की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा निष्कर्षों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)
वित्त	बिक्री, व्यापार एवं सुख-साधन पर कर	530	1,403	159.91
	मनोरंजन कर	15	14	0.12
आबकारी	राज्य आबकारी	87	133	135.38
परिवहन	मोटोरयानों पर कर	118	296	125.57
स्टाम्प एवं पंजीयन	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	309	470	12.60
वन	वन	32	115	149.44
योग		1,091	2,431	583.02

उत्तर प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का बड़ी मात्रा में लम्बित रहना यह दर्शाता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई।

सरकार अनिस्तारित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

2.1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति की निगरानी एवं शीघ्र निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति गठित करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान, वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु केवल एक ही लेखापरीक्षा समिति का आयोजन किया गया, जिसमें ₹ 30.65 करोड़ की धनराशि के अन्तर्निहित 83 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

बड़ी संख्या में लंबित अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रस्तरों को देखते हुए उनके त्वरित निस्तारण हेतु सरकार सभी विभागों को निर्देशित कर सकती है कि महालेखाकार के परामर्श से लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें।

2.1.8.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, जिन्हें, महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर आकर्षित करते हुये और उन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये ऐसे प्रस्तरों के अंत में विभाग/शासन से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्यों को हमेशा इंगित किया गया है।

एक² विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा सहित नौ प्रलेख प्रस्तरों को फ़रवरी 2016 से जुलाई 2017 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित किया गया था। इन नौ प्रलेख प्रस्तरों में से, केवल एक उप प्रस्तर एवं एक प्रलेख प्रस्तर पर शासन का उत्तर प्राप्त हुआ है जो प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है। शेष आठ प्रस्तरों को बिना किसी शासकीय प्रतिक्रिया के इस अध्याय में सम्मिलित कर लिया गया है जिन पर उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2017)। तथापि, सम्बन्धित लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा उत्तर प्राप्त हो गये हैं तथा इन्हें उचित प्रकार से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

2.1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति द्वारा दिसम्बर 2002 में अधिसूचित किया गया कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर स्वप्रेरित कृत कार्यवाही भले ही लोक लेखा द्वारा चर्चा हेतु नहीं लिये गये हों, प्रारम्भ करेगी तथा उस पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रतिवेदन के पटल पर रखने के तीन माह के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों को असाधारण विलंब से प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 26 प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया। दिसम्बर 2012 से मई 2017 के मध्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में नौ प्रस्तरों से सम्बन्धित विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ औसतन सात माह के विलंब से प्राप्त हुई थीं एवं पाँच विभागों से सत्रह प्रस्तरों के संबंध में कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं (दिसम्बर 2017)।

वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व से सम्बन्धित किसी भी प्रस्तर पर लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं हुई।

2.1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण

शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के मुख्य मुद्दों को सम्बोधित करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया।

विगत पाँच वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च 2017 की स्थिति निम्न तालिका-2.1.10 में तालिकाबद्ध है।

तालिका-2.1.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्तिम अवशेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
2012-13	402	1,023	81.30	37	151	23.79	27	78	11.20	412	1,096	93.89
2013-14	412	1,096	93.89	35	140	21.26	36	156	10.38	411	1,080	104.77
2014-15	411	1,080	104.77	44	135	8.83	17	100	13.12	438	1,115	100.48
2015-16	438	1,115	100.48	46	199	42.23	06	59	2.06	478	1,255	140.65
2016-17	478	1,255	140.65	52	265	44.57	06	94	39.73	524	1,426	145.48

² 'राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति' पर विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा।

वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में 1,023 बकाया प्रस्तरों वाली 402 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष, वर्ष 2016-17 के अन्त में बढ़कर 1,426 प्रस्तरों वाले 524 निरीक्षण प्रतिवेदन बकाया हो गये थे, जबकि 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान मात्र 487 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

2.1.10 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा सम्पादित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ अग्रेषित किया जाता है। इन पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के विचारों को सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्य कर विभाग पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले), परिवहन विभाग पर एक, खनिज विभाग पर एक एवं स्टाम्प एवं पंजीयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को विगत छः वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आलोक में कुल 33 संस्तुतियों को शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियों (कृ का टि) का विवरण निम्न तालिका-2.1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.11: सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुति पर कृत कार्यवाही

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्थिति
2009-10	बिक्री कर से मूल्यवर्धित कर के लिये पारगमन	08	दिनांक 07.08.2014 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लम्बित
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन	08	दिनांक 30.10.2013 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लम्बित
2011-12	मूल्यवर्धित कर का प्रशासन	07	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
2013-14	मोटरवाहन पर करों का आरोपण एवं संग्रहण	03	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
	उप-खनिजों की प्राप्ति	02	
2014-15	राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण	02	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
2015-16	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क पर करों के आरोपण एवं संग्रहण	03	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त

2.1.11 लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 331 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 168 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी एवं उनकी लेखापरीक्षा की गयी थी। इकाईयों का चुनाव जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

उपर्युक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान उत्तराखण्ड में आसवनियों की कार्यपद्धति जाँचने हेतु "राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति" पर एक विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा भी सम्पादित की गयी थी।

2.1.12 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016-17 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, स्टाम्प एवं पंजीयन, मनोरंजन कर, वन तथा खनन एवं खनिकर्म विभागों की 168 इकाईयों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 460 प्रस्तरों में कुल ₹ 681.30 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि एवं अन्य

अनियमितताएँ हुईं जिनका विवरण निम्न तालिका-2.1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.12: श्रेणीवार लेखापरीक्षा निष्कर्ष

क्रम सं.	श्रेणी	प्रस्तारों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर			
1.	अनियमित छूट अनुमन्य किया जाना	14	2.13
2.	कर की रियायती दर पर अनियमित छूट	119	26.44
3.	अन्य अनियमितताएँ	132	15.97
योग		265	44.54
खनन एवं खनिकर्म			
1.	रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण, लघु खनिकर्म की अवैध खनन पर अर्थदण्ड का न्यूनारोपण एवं अन्य विविध अनियमितताएँ	62	92.00
योग		62	92.00
वन			
1.	लीसा के निर्धारित मानक से कम दोहन से राजस्व क्षति, भंडारित लीसा के रिसाव के कारण राजस्व क्षति, लीज किराया के विलम्बित जमा पर ब्याज की गैर-वसूली एवं अन्य विविध अनियमितताएँ	23	36.74
योग		23	36.74
वाहनों पर कर			
1.	दुर्घटना राहत निधिकोष में कर का जमा ना होना, एक बार आरोपित कर के कम जमा होने से राजस्व क्षति, व्यापार कर ना जमा होने से राजस्व क्षति, फिटनेस शुल्क के रूप में राजस्व क्षति एवं अन्य विविध अनियमितताएँ	74	109.26
योग		74	109.26
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फ़ीस, राज्य आबकारी एवं मनोरंजन एवं सुख साधन कर			
1.	स्थानीय श्रेणी के गलत चयन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फ़ीस की कम उगाही	12	0.068
2.	अन्य अनियमितताएँ	23	45.77
3.	"आसवनियों की कार्यपद्धति"	01	352.92
योग		36	398.76
महायोग		460	681.30

वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹8.31 करोड़ की धनराशि के 90 प्रस्तारों के अवमूल्यांकन एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को स्वीकार किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान विभागों द्वारा 83 प्रस्तारों से सम्बन्धित ₹0.80 करोड़ का संग्रहण किया गया। जिनमें से, 10 प्रस्तारों की राशि ₹0.19 करोड़ वर्तमान वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर एवं शेष पिछले वर्ष से सम्बन्धित थीं।

2.1.13 राजस्व अध्याय का आच्छादन

राजस्व अध्याय में ₹357.65 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली एक विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा³ सहित नौ प्रस्तर सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें से पाँच प्रकरणों में विभाग/शासन द्वारा ₹1.18 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया गया। इनकी अध्याय II में आगे आने वाले प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

³ 'राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति' पर विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.2 अर्थदण्ड का अनारोपण

विभाग द्वारा के बि क अधिनियम की धारा 10-क के अंतर्गत ₹1.21 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया जबकि निर्धारितियों द्वारा ऐसे माल रियायती प्रपत्र पर क्रय किये गये थे, जिसके लिए वे पंजीकृत नहीं थे।

केन्द्रीय बिक्री कर (के बि क) अधिनियम 1956 की धारा 8(1) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर की दर निर्धारित करती है। अधिनियम की धारा 8(3)(ख) पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग या वर्गों के रूप में माल को परिभाषित करता है। पुनः, के बि क अधिनियम की धारा 8(4) बताती है कि धारा 8(1) के प्रावधान अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी विक्रय पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि व्यापारी निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-ग⁴) में घोषणापत्र प्रस्तुत नहीं कर देता।

पुनः, धारा 10(ख) के अनुसार, यदि ऐसे माल जो के बि क अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र के द्वारा आच्छादित नहीं है अथवा यदि धारा 10(घ) के अनुसार, जो राज्य के बाहर से कर की रियायती दर से क्रय माल का उपयोग उस उद्देश्य जिसके लिये पंजीयन प्रमाणपत्र दिया गया, से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाता है, तो व्यापारी के बि क अधिनियम की धारा 10-क के अंतर्गत अभियोग किये जाने का उत्तरदायी होगा। तथापि, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी यह सही समझे तो वह अभियोजन के बदले, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुणा तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

एक उ आ⁵ (जून 2015) तथा दो स आ⁶ (जून 2016 एवं जनवरी 2017) के कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो व्यापारियों से सम्बन्धित निम्नलिखित चार प्रकरणों में ₹1.21 करोड़ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.2.1** में वर्णित है) का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था:

- (1) प्रथम दो प्रकरणों में (**परिशिष्ट-2.2.1** का क्रम संख्या 1 एवं 2), व्यापारी ने प्रपत्र-ग जारी करके रियायती दर पर माल क्रय किया। यद्यपि, माल क्रमशः 2009-11 तथा 2012-13 की अवधि के दौरान संगत केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं था, अतः अधिनियम की धारा

⁴ अन्तर्राज्यीय व्यापार में कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता व्यापारी को जारी किया गया प्रपत्र।

⁵ उप आयुक्त (कर निर्धारण) - IV, वाणिज्य कर, देहरादून।

⁶ सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-I, वाणिज्य कर, अल्मोड़ा तथा सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-IV, वाणिज्य कर, रुड़की।

10(ख) के अनुसार अभियोग के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार, विभाग द्वारा ₹0.16 करोड़⁷ का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था।

- (2) तृतीय प्रकरण में (परिशिष्ट-2.2.1 का क्रम संख्या 3), व्यापारी ने डेमो वाहन रियायती दर पर खरीदे थे, जो कि बिक्री के लिए नहीं थे। चतुर्थ प्रकरण में (परिशिष्ट-2.2.1 का क्रम संख्या 4), आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड के निर्णय⁸ (अक्टूबर 2009) कि जल निगम द्वारा प्रपत्र-ग जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक विनिर्माणकर्ता नहीं है, के बावजूद पेयजल निगम, अल्मोड़ा ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान माल क्रय करने के लिए प्रपत्र-ग जारी किये। निगम ने धारा 8(3)(ख) की अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं किया। जैसाकि, इन प्रकरणों में विभाग द्वारा अर्थदण्ड (₹1.05 करोड़⁹) आरोपित किया जाना था।

क नि प्रा ने नवम्बर 2013 और मार्च 2016 के मध्य इन प्रकरणों में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय प्रपत्र-ग के विरुद्ध कर की रियायती दर पर माल के अनियमित क्रय का पता नहीं लगाया। क नि प्रा के स्तर पर हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹1.21 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ। इसे इंगित किये जाने पर, क नि प्रा ने अवगत कराया (जून 2015, जून 2016 तथा जनवरी 2017) कि प्रकरण की जाँच की जायेगी तथा तदनुसार की गई कार्यवाही से सूचित किया जायेगा। प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.3 प्रपत्र-11 का अनाधिकृत उपयोग

माल को रियायती दर पर क्रय करने हेतु घोषणा प्रपत्र-11 के अनाधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप ₹26.61 लाख के कर के न्यूनारोपण के कारण राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, ₹94.95 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(7)(ख) में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यापारी को विनिर्माण, विनिर्मित माल की पैकिंग या अन्तर्राज्यीय व्यापार में प्रयोग करने के लिये माल को रियायती दर पर क्रय करने हेतु मान्यता प्रमाणपत्र¹⁰ प्रदान करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 58(1) (xxix) के अनुसार, गलत अथवा मिथ्या घोषणा पत्र अथवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्थदण्ड¹¹ का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 63 में भी कर की ऐसी धनराशि आरोपित किये जाने का प्रावधान है जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणा पत्र जारी न किया गया होता।

⁷ ₹ (0.04 + 0.07 + 0.05) करोड़।

⁸ पत्र सं 2955/वा. कर उत्तरा./वाणि. अनुभाग/वा क./09-10 दिनांक 16.10.2009।

⁹ ₹ (0.12 + 0.93) करोड़।

¹⁰ व्यापारी को माल के विवरण सहित जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसे रियायती दर पर क्रय किया जा सकता है।

¹¹ अन्तर्गस्त माल के मूल्य का 40 प्रतिशत से अनधिक या इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे माल पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में आरोपित किया जायेगा।

वाणिज्य कर विभाग के तीन कार्यालयों¹² के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (मई 2015, दिसम्बर 2015 तथा मार्च 2017) कि चार क्रेताओं (जैसाकि **परिशिष्ट-2.3.1** में वर्णित है) ने कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹2.35 करोड़ मूल्य का माल क्रय करने हेतु, क्रय के विरुद्ध कर की रियायती दर का लाभ लेते हुये प्रपत्र-11¹³ जारी किया। तथापि, क्रेता, या तो सम्बन्धित मान्यता प्रमाणपत्र से आच्छादित न होने अथवा राज्य में करयोग्य माल के निर्माण में ये माल प्रयोग न होने के कारण जो कि धारा 4 (7) (ख) के अनुसार आवश्यक है, रियायती दर पर माल क्रय करने के पात्र नहीं थे। अतः, इन प्रकरणों में मूल्य वर्धित कर की दर में रियायत देना अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप, ₹26.61 लाख की राजस्व क्षति हुई जिसकी वसूली किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन के कारण क्रेताओं पर ₹94.95 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

इसे इंगित किये जाने पर स आ, देहरादून ने अवगत कराया कि अन्तरीय कर एवं अर्थदण्ड की वसूली¹⁴ हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है (जून 2016) जबकि उ आ, रुद्रपुर ने सूचित किया (फरवरी 2017) कि सितम्बर 2016 में वसूली¹⁵ हेतु नोटिस जारी किया गया था। तथापि, उ आ, विकासनगर द्वारा प्रकरण में कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2017)। वसूली की स्थिति प्रतीक्षारत है (अक्टूबर 2017)। प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.4 कर का न्यूनारोपण

कर की गलत दर लागू करने से कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 89.52 लाख की राजस्व क्षति हुई।

मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(ख) एवं (ई) के अनुसार अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में चार प्रतिशत तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न के संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। पुनः, 01 अप्रैल 2010 से अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था। पुनः यह दरें 28 मई 2012 से अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में पांच प्रतिशत तथा अवर्गीकृत माल के संबंध में 13.5 प्रतिशत संशोधित की गई थीं।

पाँच कर निर्धारण प्राधिकारियों¹⁶ (क नि प्रा) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए सात व्यापारियों का कर निर्धारण (मार्च 2014 से मई 2015) करते समय क नि प्रा ने विक्रीत माल जो कि किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं थे, पर

¹² उप आयुक्त (उ आ) (कर निर्धारण)-II, वाणिज्य कर, रुद्रपुर; सहायक आयुक्त (स आ) (कर निर्धारण) खण्ड-IV, वाणिज्य कर, देहरादून तथा उप आयुक्त (उ आ) (कर निर्धारण)-I, वाणिज्य कर, विकास नगर।

¹³ विनिर्माता जो वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है, को धारा 4(7) के अंतर्गत प्रपत्र-11 के विरुद्ध रियायती दर पर कच्चे माल को खरीदने हेतु विशेष राहत प्रदान की गई है।

¹⁴ कर की धनराशि: ₹ 4,27,437 एवं ₹ 16,28,332 का अर्थदण्ड।

¹⁵ कर की धनराशि: ₹ 5,39,383 एवं ₹ 18,99,564 का अर्थदण्ड।

¹⁶ उप आयुक्त (कर निर्धारण)-II तथा III, वा क, रुद्रपुर, सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-III, वा क, हरिद्वार, खण्ड-IV, वा क, रुड़की, खण्ड-II, वा क, हरिद्वार।

12.5 तथा 13.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 तथा 4.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 89.52 लाख (जैसाकि **परिशिष्ट-2.4.1** में वर्णित है) के कर का न्यूनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, उ आ (कर निर्धारण)-II, रुद्रपुर ने पाँच प्रकरणों में से तीन प्रकरणों¹⁷ में ₹ 25,12,956 की माँग सृजित की (मार्च एवं नवम्बर 2016), उ आ (कर निर्धारण)-III, रुद्रपुर ने एक प्रकरण में ₹ 5,09,499 की माँग सृजित की (अगस्त 2016) एवं स आ (कर निर्धारण)-IV, रुद्रपुर ने सभी दो प्रकरणों¹⁸ में ₹ 1,77,104 की माँग सृजित की (सितम्बर 2017) जबकि उ आ (कर निर्धारण)-II, रुद्रपुर (शेष दो प्रकरणों में) और स आ (कर निर्धारण)-II, III, हरिद्वार (दो प्रकरणों में) ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों की विस्तृत जाँच के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.5 अर्थदण्ड का अनारोपण

व्यापारियों द्वारा विलंब से कर जमा करने के बावजूद भी विभाग द्वारा ₹ 15.96 लाख की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 31.12.2010 के अनुसार, पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक सकल आवर्त वाले व्यापारी आगामी मास की 25वीं तारीख तक ई-भुगतान के माध्यम से माहवार कर अदा करेंगे। यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुई।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(vii)(ख) के अनुसार यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो जाये कि किसी व्यापारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह ऐसे व्यापारी पर कर के अतिरिक्त देय कर का कम से कम दस प्रतिशत अर्थदण्ड के रूप में आरोपित करेगा।

दो उप आयुक्त¹⁹ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चार व्यापारियों²⁰ (जिनका सकल आवर्त ₹ 50 लाख से अधिक था) ने युक्तियुक्त कारण के बिना अपना देय कर तीन दिन से लेकर 39 दिन विलंब करते हुए जमा किया गया था। तथापि विभाग व्यापारियों पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1)(vii) के अनुसार न्यूनतम अर्थदण्ड भी (देय कर का 10 प्रतिशत की दर से) धनराशि ₹ 15.96 लाख आरोपित करने में भी विफल रहा (जैसाकि **परिशिष्ट-2.5.1** में वर्णित है)।

इसे इंगित किये जाने पर, उ आ (क नि)-I, हरिद्वार द्वारा सभी तीन²¹ प्रकरणों में माँग जारी की गई (मार्च 2017) तथा उ आ (क नि)-II, हरिद्वार ने अवगत कराया (मई 2015 तथा दिसम्बर 2016) कि जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण शासन को प्रेषित (जून 2017) किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

¹⁷ ₹ (5,36,419+8,98,666+10,77,871) = ₹ 25,12,956 ।

¹⁸ ₹ (68,770+1,08,334)= ₹ 1,77,104 ।

¹⁹ उप आयुक्त (कर निर्धारण) (उ आ) (क नि)-I एवं II, हरिद्वार।

²⁰ टिन सं.:05007113617, टिन सं.:05009645705, टिन सं.:05005891902 एवं टिन सं.:05002157305 ।

²¹ ₹ (7,75,253 + 2,88,495 + 1,27,115) = ₹ 11,90,863 ।

2.6 कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से कर का अनारोपण तथा माल की वास्तविक अभिग्रहण मूल्य को छिपाने के परिणामस्वरूप ₹29.59 लाख की राजस्व हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹12.57 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ख) एवं (ई) के अनुसार अधिनियम की अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में चार प्रतिशत की दर से तथा किसी भी अनुसूची में सम्मिलित से भिन्न, माल के संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। दिनांक 1 अप्रैल 2010 से क्रमशः 0.5 प्रतिशत तथा एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देय है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1)(14)(xiv) यथासंशोधित अधिसूचना संख्या: 1314/XXXVI(4)/2008 दिनांक 31 मार्च 2008 के अनुसार कोई व्यापारी मिथ्या लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज रखता है अथवा प्रस्तुत करता है, तो वह कर जिसे छोड़ा गया हो, कर की धनराशि के पचास प्रतिशत से कम नहीं किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी होगा।

वाणिज्य कर विभाग के एक उ आ²² तथा एक स आ²³ कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन न किये जाने से कर का अनारोपण संज्ञान में आया जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यापारियों के निम्नलिखित प्रकरणों में ₹29.59 लाख की राजस्व क्षति हुई।

(क) उ आ (क नि), वा क, विकास नगर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि एक व्यापारी²⁴ द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में अपने तुलन पत्र में ₹30.34 लाख एवं ₹7.96 लाख के क्रमशः प्लांट एवं मशीनरी तथा पुराने वाहन की बिक्री घोषित की गई। इन बिक्रियों पर अधिनियम में निर्धारित दर (पुराने/उपयोग किये गये वाहनों पर 4.5 प्रतिशत की दर जैसाकि अनुसूची II (ख) में सूचीबद्ध है तथा प्लांट एवं मशीनरी अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर) से कर देय था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी (क नि प्रा) ने ऐसी बिक्री पर ऐसा कोई कर आरोपित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹4.46 लाख²⁵ के कर का अनारोपण रहा।

(ख) पुनः, स आ (क नि) वा क, खण्ड-I, ऋषिकेश से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के दो कर निर्धारण प्रकरणों (अप्रैल 2014) में से एक²⁶ में कर निर्धारिती ने ₹70.06 लाख मूल्य की मशीनरी को क्रय किया लेकिन तुलन पत्र में प्लांट एवं मशीनरी में वृद्धि के रूप में केवल ₹26,655 दर्शाया गया।

²² उप आयुक्त (कर निर्धारण) (उ आ) (क नि), वाणिज्य कर, विकासनगर।

²³ सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) (स आ) (क नि), वाणिज्य कर, खण्ड-I, ऋषिकेश।

²⁴ टिन सं0 05006812820।

²⁵ ₹ 4.10 लाख (प्लान्ट एवं मशीनरी की बिक्री: ₹ 30.34 लाख x 13.5 प्रतिशत) + ₹ 0.36 लाख (पुराने वाहन की बिक्री: ₹ 7.96 लाख x 4.5 प्रतिशत)।

²⁶ टिन सं.:05003546830।

इसी प्रकार, अन्य प्रकरण²⁷ में एक कर निर्धारिती ने ₹2.13 करोड़ के प्लांट एवं मशीनरी को क्रय किया लेकिन तुलन पत्र में प्लांट एवं मशीनरी में वृद्धि के रूप में ₹0.82 करोड़ दर्शाया गया। अतः, दोनों व्यापारियों ने प्लांट एवं मशीनरी के वास्तविक मूल्य में क्रमशः ₹0.70 करोड़²⁸ एवं ₹1.31 करोड़²⁹ का छुपाव किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.01 करोड़³⁰ पर 12.5 प्रतिशत की दर से ₹25.13 लाख के कर का अनारोपण रहा। इसके अतिरिक्त, धारा 58(1)(14)(xiv) के अनुसार मिथ्या लेखे प्रस्तुत करने पर दोनों व्यापारियों पर कुल देय कर का 50 प्रतिशत की न्यूनतम दर से कुल ₹12.57 लाख³¹ अर्थदण्ड भी देय है।

इसे इंगित किये जाने पर उ आ (क नि), विकासनगर ने अवगत कराया (मार्च 2016) कि मामले की जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जबकि स आ (क नि) वा क, खण्ड-I, ऋषिकेश ने दोनों मामलों का पुनर्करनिर्धारण (जुलाई 2015) किया तथा मांग³² (बिना अर्थदण्ड के) सृजित की गई जिसकी वसूली प्रतीक्षित थी।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने तथा उपरोक्त मामलों में माल के वास्तविक अभिग्रहण मूल्य के छुपाव के कारण कर का अनारोपण रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹42.16 लाख³³ की राजस्व हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (जून 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

आबकारी विभाग

2.7 राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति

आसवनियों द्वारा दैनिक स्थापित क्षमता से अधिक और बारिश के मौसम के दौरान मदिरा का उत्पादन करके पर्यावरणीय मापदण्डों का पालन नहीं किया गया, जिस पर विभाग द्वारा ₹346.53 करोड़ के जुर्माने का आरोपण नहीं किया गया। न्यूनतम उत्पादन, किण्वन और आसवन क्षमता का नियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राप्त न करने और पारगमन के दौरान टोटल रिड्यूसिंग शुगर और शीरे की हानि के परिणामस्वरूप ₹2.67 करोड़ के आबकारी राजस्व की हानि हुई। विभाग मदिरा की निर्धारित तीव्रता से उच्च तीव्रता पर ₹2.46 करोड़ की इयूटि आरोपित करने में विफल रहा। आसवन पर छीजन को गलत अनुमन्य किये जाने और बॉण्डेड वेयर हाउस विदेशी मदिरा के लाइसेंस शुल्क के समायोजन अन्य कारक हैं जिनके कारण आबकारी राजस्व की हानि हुई।

²⁷ टिन सं.:05003515693।

²⁸ ₹ 70.06 लाख - ₹ 0.26 लाख = ₹ 69.80 लाख = ₹ 0.70 करोड़ (माना)।

²⁹ ₹ 2.13 करोड़ - ₹ 0.82 करोड़ = ₹ 1.31 करोड़।

³⁰ ₹ 0.70 करोड़ + ₹ 1.31 करोड़।

³¹ ₹ 25.13 लाख का 50 प्रतिशत।

³² ₹ 25.13 लाख।

³³ कर: ₹ (4.46 + 25.13) लाख + अर्थदण्ड: ₹ 12.57 लाख = ₹ 42.16 लाख।

2.7.1 परिचय

राज्य आबकारी विभाग मदिरा के उत्पादन, निर्माण, कब्जा, भण्डारण, परिवहन, खरीद और बिक्री पर ड्यूटी और शुल्क के आरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। राज्य आबकारी, उत्तरांचल आबकारी अधिनियम, 2002 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत विनियमित है। आसवनियाँ लाइसेंस प्राप्त इकाईयाँ हैं जहाँ मदिरा मुख्य रूप से चीनी के निर्माण के दौरान शीरे के किण्वन एवं आसवन से उप उत्पादन के रूप में प्राप्त होती है। मापदण्डों के अनुसार, मदिरा का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए देहरादून में स्थित प्रयोगशाला में आसवनी से प्राप्त शीरा और मदिरा की रासायनिक जाँच की जाती है। आसवनी में उत्पादित मदिरा पर लगायी गयी आबकारी ड्यूटी, आबकारी राजस्व का प्रमुख हिस्सा है। वाणिज्यिक करों के बाद आबकारी ड्यूटी से प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के लिए राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। आबकारी ड्यूटी के अतिरिक्त आसवक से उत्पादन, बॉटलिंग और मदिरा के थोक विक्रय के लिये अनुज्ञापी शुल्क भी आबकारी राजस्व का हिस्सा है।

उत्तराखण्ड में चार आसवनियाँ हैं। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान आसवनियों की कार्यपद्धति का आंकलन करने के लिए आबकारी आयुक्त, सम्बन्धित जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों (डी ई ओ) के अधिकार क्षेत्र में काम कर रही चार आसवनियों³⁴ और तीन सम्बन्धित डी ई ओ³⁵ के अभिलेखों की जाँच मार्च 2017 से जून 2017 के मध्य की गयी थी। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी कि क्या आसवनियों ने आबकारी मैनुअल में विनिर्दिष्ट न्यूनतम कार्यरत दक्षता प्राप्त की है; आसवनियाँ पर्यावरण मापदण्डों का पालन करती हैं; विद्यमान प्रावधानों के अनुसार पुनः आसवन छीजन की निगरानी की गयी तथा अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग में एक उपयुक्त आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र अस्तित्व में है।

लेखापरीक्षा के परिणाम

2.7.2 नियमों का पालन न करना

2.7.2.1 अधिक तीव्रता की देशी मदिरा पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी और विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क का आरोपण न किया जाना

अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 790 के अनुसार, रंग और स्वाद सामग्रियों को मिलाये जाने के बाद हाईड्रोमीटर पर दर्शायी गयी मद्दयसार की प्रदर्शित तीव्रता को सील बन्द बोतलों पर लगाये गये लेबल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, देशी मदिरा (दे श) पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की दर वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में 36 प्रतिशत आयतन/आयतन (वी/वी)³⁶ के लिए क्रमशः ₹ 140, ₹ 170 और ₹ 200 प्रति बल्क लीटर (बी एल) निर्धारित की गयी थी।

³⁴ काशीपुर, बाजपुर, देहरादून और लक्सर की आसवनियाँ।

³⁵ उधम सिंह नगर, देहरादून और हरीद्वार।

³⁶ आयतन/आयतन किसी मिश्रण में पदार्थ की सांद्रता मापने का पैमाना है जोकि किसी मिश्रण के आयतन का मिश्रण के कुल आयतन से अनुपात को 100 प्रतिशत से गुणा करने पर प्राप्त होता है।

दो आसवनियों³⁷ के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान, बॉटलिंग के लिए 4,99,84,094.16 बी एल³⁸ देशी मदिरा निर्गत की गयी थी। यह पाया गया कि इन बोतलों पर लगाये गये लेबल के अनुसार देशी मदिरा में एल्कोहल की मात्रा 36 प्रतिशत (वी/वी) थी। तथापि, रंग और स्वाद सामग्री को मिलाने के बाद मदिरा की वास्तविक तीव्रता आबकारी अभिलेखों के अनुसार 36.10 प्रतिशत (वी/वी) थी। इस प्रकार, सभी प्रकरणों में वास्तविक तीव्रता 0.1 प्रतिशत वी/वी अधिक थी। इस प्रकार वास्तविक एल्कोहल सामग्री के आधार पर प्रत्याभूत ड्यूटी नहीं लगाये जाने से विभाग को ₹2.31 करोड़³⁹ की प्रत्याभूत ड्यूटी का नुकसान हुआ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.1 अ** में वर्णित है)।

आगे, भारत में बनायी गयी विदेशी मदिरा (आई एम एफ एल) के प्रकरण में आबकारी उत्पाद शुल्क की दरें 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः ₹110, ₹135 और ₹155 प्रति एल्कोहल लीटर (ए एल) थी। एक आसवनी⁴⁰ के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि बॉटलिंग के लिए आई एम एफ एल के 1,10,97,638.28 बी एल निर्गत किये गये थे। इन बोतलों पर लगाये गये लेबलों में आई एम एफ एल में एल्कोहल की तीव्रता को 42.8 और 37.5 प्रतिशत वी/वी के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, रंग और स्वाद सामग्री को मिलाने के बाद मदिरा की वास्तविक तीव्रता आबकारी अभिलेखों के अनुसार 42.9 और 37.6 प्रतिशत वी/वी मिली थी। सभी प्रकरणों में वास्तविक तीव्रता 0.1 प्रतिशत वी/वी अधिक थी। आबकारी शुल्क वास्तविक एल्कोहल तीव्रता के आधार पर आरोपित न किये जाने के कारण ₹0.15 करोड़ के आबकारी उत्पाद शुल्क का कम संग्रह हुआ (**परिशिष्ट-2.7.1 ब**)। इंगित किये जाने पर, शासन ने अवगत कराया (दिसम्बर 2017) कि अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 790 और 805 के प्रावधानों के अनुसार मदिरा की तीव्रता को बनाए रखने के लिए 0.3 प्रतिशत वी/वी का मार्जिन अनुमन्य है। आगे, शासन ने यह भी अवगत कराया कि मदिरा का उत्पादन अनुमन्य मार्जिन के अंतर्गत ही किया गया है और कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। तथापि, शासन का तर्क प्रासंगिक नहीं था क्योंकि यह स्वीकार्य तीव्रता का मामला नहीं था बल्कि मदिरा में अधिक तीव्रता पर प्रत्याभूत अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी वसूल किये जाने से सम्बन्धित था।

2.7.2.2 न्यूनतम दक्षता और एल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आसवनियों ने अधिनियम के नियम 710 के तहत निर्धारित न्यूनतम किण्वन दक्षता (कि द)⁴¹, आसवन दक्षता (आ द)⁴² और मदिरा का न्यूनतम उत्पादन प्राप्त नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, ₹2.67 करोड़ के आबकारी राजस्व का नुकसान हुआ। जोकि **तालिका-2.7.1** में नीचे वर्णित है:

³⁷ बाजपुर और काशीपुर की आसवनियाँ।

³⁸ बाजपुर की आसवनी 2,28,24,691.20 बी एल, काशीपुर की आसवनी 2,71,59,402.96 बी एल।

³⁹ बाजपुर की आसवनी: ₹1.06 करोड़, काशीपुर की आसवनी: ₹1.25 करोड़।

⁴⁰ काशीपुर की आसवनी।

⁴¹ शीरे में मौजूद किण्वन शुगर की प्रतिशतता।

⁴² वॉश में मौजूद अल्कोहल का प्रतिशत।

तालिका 2.7.1- न्यूनतम कि द/आ द को प्राप्त न किये जाने और मदिरा के न्यूनतम उत्पादन के कारण राजस्व हानि का विवरण

क्र.सं.	सांविधिक प्रावधान	कमी/विचलन की प्रकृति	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1.	इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियम 710 में यह बताया गया है कि आसवक शीरे में मौजूद किण्वनी शर्करा (कि श) का 84 प्रतिशत न्यूनतम किण्वन दक्षता (कि द) बनाये रखेंगे।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान तीन आसवनियों ⁴³ को वॉश ⁴⁴ में 2,81,10,242 ए एल ⁴⁵ एल्कोहल एफ एस ⁴⁶ में से 2,36,12,604 ए एल ⁴⁷ एल्कोहल का उत्पादन 63 बैचों ⁴⁸ में 84 प्रतिशत किण्वन दक्षता बनाये रखते हुए करना था। तथापि, वॉश में मौजूद वास्तविक एल्कोहल 2,34,36,785 ए एल ⁴⁹ था। इसके परिणामस्वरूप, 1,75,819 ए एल ⁵⁰ एल्कोहल का कम उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त, बाजपुर की आसवनी में किण्वन और आसवन रजिस्टर के विभिन्न कॉलम (पी डी 9 ए) खाली पाये गये और अभिलेखों का रख रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था। इसका प्रभाव उत्पादित एल्कोहल की गणना पर पड़ा, जिसमें आबकारी उत्पाद शुल्क सम्मिलित था (जैसाकि परिशिष्ट-2.7.2 अ में वर्णित है)।	2.41	यह इंगित किये जाने पर शासन (आर बी एन एस, आई जी एल और दून वैली आसवनियों के मामले में) ने अवगत (दिसम्बर 2017) कराया कि किण्वन दक्षता निर्धारित दक्षता 84 प्रतिशत के अनुरूप थी। आगे, बाजपुर आसवनी के संबंध में शासन द्वारा यह अवगत (दिसम्बर 2017) कराया गया कि पी डी 9 ए रजिस्टर को पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं। तथापि, शासन का उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा 63 बैचों में किण्वन दक्षता 84 प्रतिशत से कम पायी गयी।
2.	अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 710 में यह बताया गया है कि आसवक वॉश में मौजूद एल्कोहल का 97 प्रतिशत न्यूनतम आसवन क्षमता (आ क्ष) को बनाये रखेंगे।	लेखापरीक्षा ने पाया कि दो आसवनियों ⁵¹ में 3,98,666.29 ए एल ⁵² एल्कोहल अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान वॉश में मौजूद 4,10,996.18 ए एल ⁵³ एल्कोहल से उत्पादित किया जाना चाहिये था। तथापि, अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 3,87,207.20 ए एल ⁵⁴ था। जिसके परिणामस्वरूप	0.16	यह इंगित किये जाने पर शासन (आर बी एन एस आसवनी के प्रकरण में) ने दावा किया (दिसम्बर 2017) कि आसवनी आसवन क्षमता के निर्धारित मानदंड 97 प्रतिशत को सुनिश्चित करती है। तथापि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दावे

⁴³ लक्सर, कुआँवाला और काशीपुर की आसवनियाँ।

⁴⁴ सैक्रिन घोल जिससे आसवन के दौरान मद्यसार प्राप्त की जाती है।

⁴⁵ काशीपुर की आसवनी 2,62,32,056 ए एल, लक्सर की आसवनी 13,66,833 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 5,11,353 ए एल।

⁴⁶ शीरे में ग्लूकोस युक्त किण्वनीय शर्करा, जिससे आसवनियों द्वारा अल्कोहल तैयार की जाती है।

⁴⁷ काशीपुर की आसवनी 2,20,34,927 ए एल, लक्सर की आसवनी 11,48,140 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 4,29,537 ए एल।

⁴⁸ काशीपुर की आसवनी 55 बैच, लक्सर की आसवनी 3 बैच और कुआँवाला की आसवनी 5 बैच।

⁴⁹ काशीपुर की आसवनी 2,18,65,296 ए एल, लक्सर की आसवनी 11,45,555 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 4,25,934 ए एल।

⁵⁰ काशीपुर की आसवनी 1,69,631 ए एल, लक्सर की आसवनी 2,585 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 3,603 ए एल।

⁵¹ लक्सर और कुआँवाला की आसवनियाँ।

⁵² लक्सर की आसवनी 2,60,798.37 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 1,37,867.92 ए एल।

⁵³ लक्सर की आसवनी 2,68,864.30 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 1,42,131.88 ए एल।

⁵⁴ लक्सर की आसवनी 2,53,048.90 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 1,34,158.30 ए एल।

		11,459.09 ए एल ⁵⁵ एल्कोहल का कम उत्पादन हुआ जिसमें आबकारी राजस्व सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, बाजपुर की आसवनी में किण्वन और आसवन रजिस्टर के विभिन्न कॉलम (पी डी 9 ए) खाली पाये गये और अभिलेखों का रख रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था। इसका उत्पादित मदिरा की गणना पर प्रभाव पड़ा जिसमें आबकारी राजस्व सम्मिलित है। (जैसाकि परिशिष्ट-2.7.2 ब में वर्णित)।		के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दूनवैली आसवनी के मामले में, शासन ने अवगत कराया कि अभिलेखों में दिखाये गये वॉश में एल्कोहल का <i>प्रतिशत</i> लिपिकीय त्रुटि थी और वास्तविक आसवन दक्षता मापदण्डों के अनुसार थी। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति विभाग द्वारा अनुरक्षित किये गये अभिलेखों पर आधारित थी।
3.	अधिनियम और नियमों में पारगमन में टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी आर एस) के लिये कोई भी नुकसान का प्रावधान नहीं है, साथ ही साथ जब चीनी कारखाने से पाइपलाइन के माध्यम से शीरे को आसवनी तक स्थानान्तरण किया जाता है तो शीरे में नुकसान का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किये गये नियम 710 में यह बताया गया है कि प्रति कुन्तल शीरे में मौजूद एफ एस से 52.5 ली एल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिए।	लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान दो आसवनियों ⁵⁶ में 20,197.55 कुन्तल ⁵⁷ शीरे को चीनी कारखाने से आसवनी तक पाइप लाइन के माध्यम से स्थानान्तरित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि शीरे के परिवहन के दौरान टी आर एस के <i>प्रतिशत</i> में कमी 0.04 से 0.72 <i>प्रतिशत</i> के बीच थी। आसवनी को 80.82 कुन्तल ⁵⁸ टी आर एस कम प्राप्त हुई। जिसमें से 3,733.80 ए एल ⁵⁹ एल्कोहल, जिस पर ₹ 5.56 लाख ⁶⁰ का आबकारी राजस्व सम्मिलित था, का उत्पादन किया जाना चाहिए था (जैसाकि परिशिष्ट-2.7.2 स में वर्णित है)। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 3,255 कुन्तल शीरा पाइप लाइन के माध्यम से एक चीनी कारखाने द्वारा एक आसवनी ⁶¹ में स्थानान्तरित किया गया था। लेकिन आसवनी को केवल 3,225 कुन्तल शीरा मिला अर्थात् 30 कुन्तल शीरे की कम आपूर्ति हुई थी जिससे 654.19 ए एल एल्कोहल, जिसमें ₹ 0.88 लाख आबकारी राजस्व सम्मिलित था, का उत्पादन किया जा सकता था, (जैसाकि परिशिष्ट-2.7.2 द में वर्णित है)।	0.06	यह इंगित किये जाने पर शासन ने (आर बी एन एस आसवनी के मामले में) जवाब दिया कि टी आर एस और शीरे का नुकसान लिपिकीय त्रुटि के कारण था। जबकि बाजपुर आसवनी के मामले में यह कहा गया कि किसी प्रयोग के परिणाम बार-बार दोहराने पर भिन्न होते हैं। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि टी आर एस और शीरे के आँकड़े मापने के बाद ही रिकॉर्ड किये जाते हैं तथा लिपिकीय त्रुटि मानते हुए नज़रअंदाज़ नहीं किये जा सकते हैं और यह पारगमन में हानि को इंगित करता है जिसकी जाँच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शीरे की मात्रा और टी आर एस की हानि नियमों और अधिनियम के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाती हैं।

⁵⁵ लक्सर की आसवनी 7,749.47 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 3,709.62 ए एल।

⁵⁶ लक्सर की आसवनी और बाजपुर की आसवनी।

⁵⁷ लक्सर की आसवनी 19,255.70 कुन्तल और बाजपुर की आसवनी 941.85 कुन्तल।

⁵⁸ लक्सर की आसवनी 80.25 कुन्तल और बाजपुर की आसवनी 0.57 कुन्तल।

⁵⁹ लक्सर की आसवनी 3,707.70 ए एल और बाजपुर की आसवनी 26.10 ए एल।

⁶⁰ लक्सर की आसवनी ₹ 5.53 लाख और बाजपुर की आसवनी ₹ 0.03 लाख।

⁶¹ लक्सर की आसवनी।

4.	अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियम 710 में यह बताया गया है कि शीरे में मौजूद एफ एस के प्रति कुन्तल से 52.5 ली एल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिए।	एक आसवनी ⁶² के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जुलाई 2016 में शीरे का एक समग्र नमूना प्रयोगशाला में आसवनी द्वारा खपत किये गये 10,571 कुन्तल शीरे में शर्करा मात्रा जात करने के लिए प्रेषित किया गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट और निर्धारित मापदण्डों के आधार पर 3,977.87 कुन्तल एफ एस सामग्री शीरे में मौजूद थी। जिसमें से 2,08,838.18 ए एल एल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिए था। तथापि, केवल 2,06,101.20 ए एल एल्कोहल आसवनी द्वारा उत्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 2,736.98 ए एल एल्कोहल की कमी हुई जिस पर आबकारी राजस्व सम्मिलित था। (2,736.98 x ₹ 155)	0.04	यह इंगित किये जाने पर शासन ने अवगत कराया (दिसम्बर 2017) कि आसवनी को दंडित करने हेतु प्रकरण को आयुक्त को संदर्भित किया गया है।
योग		2.67		

2.7.2.3 अमान्य पुनः आसवन छीजन

अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 760 में यह प्रावधान है कि कुछ शर्तों के अधीन मद्यसार के पुनः आसवन की प्रक्रिया में दो प्रतिशत छीजन की अनुमति है। तथापि नियम, पुनः आसवन की प्रक्रिया के दौरान एथेनाल के निर्माण में रेक्ट्रीफाइड स्पिरिट (आर एस) में कोई भी छीजन को अनुमन्य नहीं करते हैं।

एक आसवनी⁶³ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आसवनी में 3,52,615.50 ए एल रेक्ट्रीफाइड स्पिरिट (आर एस) के पुनः आसवन की प्रक्रिया के माध्यम से 3,51,209.70 ए एल एथेनाल को निर्मित किया गया। आसवनी ने पुनः आसवन की प्रक्रिया में 1,405.80 ए एल आर एस के छीजन का दावा किया। आबकारी के प्रभारी अधिकारी ने गलत दावा किये गये छीजन को अनुमन्य कर दिया था यद्यपि यह उपरोक्त नियमों के अनुसार अनुमन्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.18 लाख के आबकारी उत्पाद शुल्क की हानि हुई।

यह इंगित किये जाने पर, शासन ने अवगत कराया गया (दिसम्बर 2017) कि आबकारी नियमावली के नियम 760 में पुनः आसवन की प्रक्रिया के दौरान 1.5 प्रतिशत का छीजन अनुमन्य है। जबकि आसवनी की छीजन केवल 0.4 प्रतिशत थी जो कि अनुमन्य सीमा के अंदर थी। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपयुक्त नियम पुनः आसवन द्वारा एथेनाल के निर्माण की प्रक्रिया में छीजन को अनुमन्य नहीं करता है।

2.7.2.4 बॉण्डेड वेयर हाउस विदेशी मदिरा के लाइसेंस शुल्क का कम आरोपण एवं समायोजन

उत्तराखण्ड के वर्ष 2015-16 की आबकारी नीति में मदिरा की 25,001-50,000 पेटियों की बिक्री के लिए ₹ आठ लाख का और 50,001-1,00,000 पेटियों की बिक्री के लिए ₹ 12 लाख का बॉण्ड लाइसेंस

⁶² बाजपुर की आसवनी।

⁶³ लक्सर की आसवनी।

शुल्क निर्धारित किया था। अधिनियम और नियम लाइसेंस शुल्क के किसी भी क्रमिक वर्ष के लिए समायोजन प्रदान नहीं करते हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए डी ई ओ, उधम सिंह नगर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग ने बॉण्डेड वेयर हाउस विदेशी मदिरा (बी डब्ल्यू एफ एल-2)⁶⁴ के लिए बाजपुर की एक फर्म को विदेशी मदिरा की एक लाख पेटियों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान किया था। जिसके लिए फर्म ने ₹12 लाख का लाइसेंस शुल्क भुगतान किया था। आगे, वर्ष 2016-17 के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के समय, नवीनीकरण शुल्क पर वर्ष 2015-16 के लिए भुगतान शुल्क ₹चार लाख की राशि समायोजित की गयी क्योंकि केवल पचास हजार पेटियों की बिक्री वर्ष 2015-16 में लाइसेंसधारी फर्म द्वारा बतायी गयी थी। इस प्रकार के अनुचित समायोजन के परिणामस्वरूप, ₹चार लाख के लाइसेंस शुल्क का कम आरोपण हुआ।

यह इंगित किये जाने पर शासन ने अवगत कराया (दिसम्बर 2017) कि वेयरहाउस केवल 50,000 पेटियों की बिक्री कर पाया था इसलिए ₹आठ लाख लाइसेंस शुल्क वसूल योग्य था। उत्तर में आगे यह भी कहा कि वेयर हाउस द्वारा जमा ₹चार लाख के अधिक लाइसेंस शुल्क को आगामी वर्ष में समायोजित किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि किसी एक विशेष वर्ष में घोषित की गयी बिक्री की संख्या के लिए जमा किये गये लाइसेंस शुल्क की राशि का समायोजन अनुमन्य नहीं था।

2.7.2.5 राजस्व का अवरोधन

अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियम 705 के अनुसार लाइसेंस धारी आसवक लाइसेंस की समाप्ति अथवा लाइसेंस रद्द अथवा निलम्बन की स्थिति में आसवनी के अन्दर रखे गये समस्त मद्यसार पर देय कर का भुगतान करने व उसे प्रवृत्त नियमों के अनुसार हटाने के लिए बाध्य है।

कार्यालय, आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि दो आसवनियों⁶⁵ ने क्रमशः माह मई 2010 व सितम्बर 2011 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन बन्द कर दिया था। आसवक के विदेशी मदिरा (एफ एल-3⁶⁶) भण्डार में 46,785.97 ए एल⁶⁷ भारत निर्मित विदेशी मदिरा थी (अप्रैल 2017)। तथापि, विभाग द्वारा मदिरा के भण्डार के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी जिस कारण राजकोष में ₹72.52 लाख⁶⁸ का राजस्व अवरुद्ध रहा।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2017) कि आसवनियाँ पी डी-2 लाइसेंस धारी थी और राजस्व तब संग्रहीत होता जब मदिरा की आसवनियों द्वारा एफ एल-3 से निकासी दी जाती। शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों आसवनियों ने मई 2010/सितम्बर

⁶⁴ बी डब्ल्यू एफ एल-2 लाइसेंस किसी व्यक्ति, फर्म और कंपनी को प्रदान किया जाता है, जो विदेशी मदिरा का उत्पादकर्ता हो, विदेशी मदिरा के बॉण्डेड वेयर हाउस को स्थापित और संचालित करे।

⁶⁵ कुआँवाला व बाजपुर की आसवनियाँ।

⁶⁶ एफ एल-3 एक प्रारूप है जिसपर बाटलिंग हेतु लाइसेंस दिया जाता है। एफ एल-1 विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए उत्पादक का लाइसेंस है।

⁶⁷ कुआँवाला की आसवनी :31,575.35 ए एल व बाजपुर की आसवनी :15,210.62 ए एल।

⁶⁸ कुआँवाला की आसवनी 31,575.35 ए एल @ ₹ 155 = ₹ 48.94 लाख व बाजपुर की आसवनी: 15,210.62 ए एल * ₹ 155 = ₹ 23.58 लाख।

2011 में उत्पादन बंद कर दिया था और साथ ही एक आसवनी⁶⁹ का एफ एल-1 और एफ एल-3 का लाइसेंस समाप्त हो गया था।

2.7.2.6 कम्पाउंडिंग शुल्क की वसूली न किया जाना

मद्यसार का निकासन फॉर्म पी डी 25 (उत्पादन व आसवन) पर किया जाता है एवं इसकी जानकारी फॉर्म पी डी 26 पर पी डी 25 के साथ भेजी जाती है। मद्यसार प्राप्तकर्ता द्वारा मद्यसार प्राप्ति को प्रमाणित करते हुए पी डी 26 को वापस जारीकर्ता को भेजना होता है। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश⁷⁰ के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि यदि पी डी-26 फॉर्म तीन माह की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर वापस प्राप्त नहीं होते हैं तो जारीकर्ता पर निर्धारित दर से आबकारी उत्पाद शुल्क प्रभारित कर दिया जायेगा।

एक आसवनी⁷¹ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि दो पी डी 26 फॉर्म, जिन पर माह अगस्त व नवम्बर 2014 में 42,547 ए एल मद्यसार का निर्यात जिले से बाहर किया गया था, तीन माह की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आसवक को वापस प्राप्त नहीं हुये थे। अनुज्ञप्तिधारक ने लेखापरीक्षा तिथि (मार्च 2017) तक मद्यसार प्राप्ति से सम्बन्धित अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2017) कि फॉर्म लेखापरीक्षा को उस समय उपलब्ध नहीं कराये गये थे और दावा किया गया कि फॉर्म प्राप्त हो गये हैं। तथापि, शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फॉर्म का जारीकर्ता को निश्चित समयावधि में वापस प्राप्त न होना उक्त वर्णित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप, आबकारी उत्पाद शुल्क ₹ 46.80 लाख का आरोपण नहीं हो पाया।

2.7.3 पर्यावरणीय मापदण्डों का अनुपालन न किया जाना

2.7.3.1 वर्षा काल के दौरान अनधिकृत उत्पादन

मदिरा के विनिर्माण हेतु पी डी-2 अनुज्ञप्ति⁷² इस शर्त के साथ दी जाती है कि अनुज्ञप्तिधारक मदिरा के विनिर्माण से निकलने वाली गंदगी व अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था करेगा एवं ऐसी सारी व्यवस्थाएं करेगा जैसाकि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गयी हो। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार उप-धारा (1)⁷³ के अंतर्गत की जाने वाली व्यवस्थाओं हेतु नियम बना सकती है अथवा यह आवश्यक कर सकती है कि उप-धारा के अनुसार की जाने वाली व्यवस्थायें ऐसे प्राधिकारी से अनुमोदित होनी चाहिये जैसाकि निर्धारित किया गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (भा स)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय मंजूरी व उत्तराखण्ड पर्यावरण निवारण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प नि प्र नि बो)

⁶⁹ कुआँवाला की आसवनी।

⁷⁰ आदेश सं 1162-90/9-390 दिनांक 15 अप्रैल 1987।

⁷¹ लक्सर स्थित आसवनी।

⁷² सरकार के अलावा आसवकों को उनके स्वामित्व वाले परिसर में काम किये जाने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये।

⁷³ प्रत्येक कारखाने में निर्माण प्रक्रिया के कारण उत्पन्न गंदगी व अपशिष्ट के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं होनी चाहिये जिससे उन्हें अहानिकारक बनाया जा सके व निस्तारण किया जा सके।

द्वारा संचालन हेतु दिए गये समेकित सहमति व प्राधिकार (सी सी ए) की विशिष्ट शर्तों के अनुसार आसवनियों का संचालन वर्षाकाल के दौरान नहीं किया जाना होगा। यदि वर्षाकाल में आसवनी संचालित होगी तो वर्षा का पानी गाद के साथ मिश्रित होगा जो कि बाहर बह कर सतही व उप-सतही जल-निकायों को प्रदूषित कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 कि धारा 15 के अनुसार जो कोई भी अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा निर्गत आदेशों का अनुपालन नहीं करता है या उल्लंघन करता है, वह इस संबंध में प्रत्येक उल्लंघन पर पाँच वर्ष तक की कैद अथवा ₹ एक लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंडनीय होगा। आगे, राज्य आबकारी अधिनियम की धारा 60(1)(घ) के अनुसार जो कोई भी अधिनियम या इसके अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास का उल्लंघन करते हुये आसवनी चलाता है तो वह दो वर्ष तक की कैद एवं ₹5,000 जुर्माना अथवा देय इयूटि के 10 गुणा से कम नहीं, जो भी अधिक हो, के साथ दंडनीय होगा।

तीन आसवनियों⁷⁴ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उ प नि प्र नि बो द्वारा प्रदत्त सी सी ए के आधार पर आसवनियों द्वारा पी डी-2 लाइसेंस प्राप्त किया गया था। तथापि, आसवनियों ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये अवधि 2014-17 में गैर-कानूनी रूप से वर्षाकाल के दौरान (जुलाई से सितम्बर) ₹17.76 लाख⁷⁵ ए एल मदिरा का उत्पादन किया था जिस पर ₹257.84 करोड़⁷⁶ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.3** में वर्णित है) का जुर्माना आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के सुसंगत प्रावधानों का भी उल्लंघन किये जाने पर ₹25 लाख⁷⁷ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.3** में वर्णित है) का जुर्माना अतिरिक्त रूप से आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा अवगत (दिसम्बर 2017) कराया गया कि आबकारी अधिनियम में वर्षा ऋतु में आसवनियों के कार्य को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया गया कि सी पी सी बी/उ प नि प्र नि बो द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन कराना सम्बन्धित विभाग की ज़िम्मेदारी थी।

शासन का उत्तर उसके स्तर पर जवाबदेही एवं पर्यावरणीय मानदंडों, दोनों की उपेक्षा प्रदर्शित करता है। उत्तर मैरिट के आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि पी डी-2 लाइसेंस में स्पष्ट उल्लेख है कि मदिरा के विनिर्माण करने वाले अनुज्ञप्तिधारक द्वारा गंदगी व अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाएगी जैसाकि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया और राज्य आबकारी अधिनियम की धारा 60(1)(घ) के साथ अन्य सभी अधिनियम/नियमों के अधीन बनाए गये उपबंधों के अधीन धनराशि ₹258.09 करोड़ का जुर्माना आरोपणीय था (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.3** में वर्णित है)।

2.7.3.2 प्रतिदिन उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन

अधिनियम की धारा 60 के अनुसार, किसी भी आसवनी द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ का विनिर्माण किये जाने पर कैद, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और ₹5,000 जुर्माना अथवा देय इयूटि के 10 गुणा से कम नहीं, जो भी अधिक है, के साथ दण्डनीय है। उ प नि प्र नि बो द्वारा

⁷⁴ लक्सर, बाजपुर व कुआँवाला की आसवनियाँ।

⁷⁵ लक्सर की आसवनी: ₹9.07 लाख ए एल, कुआँवाला की आसवनी: ₹0.48 लाख ए एल व बाजपुर की आसवनी: ₹8.21 लाख ए एल।

⁷⁶ लक्सर की आसवनी: ₹137.52 करोड़, कुआँवाला की आसवनी: ₹7.49 करोड़ व बाजपुर की आसवनी: ₹112.83 करोड़।

⁷⁷ लक्सर की आसवनी: ₹10.00 लाख, कुआँवाला की आसवनी: ₹2.00 लाख व बाजपुर की आसवनी: ₹13.00 लाख।

पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त सी सी ए में भी आसवनियों के प्रतिदिन उत्पादन की सीमाबद्धता निर्धारित की गयी है।

यदि किसी आसवनी का इसकी प्रतिदिन उत्पादन क्षमता से अधिक संचालन किया जाता है तो उत्पादन क्षमता के साथ संबद्ध प्रदूषक निवारण की सुविधा प्रभावपूर्ण तरीके से काम नहीं करेगी एवं प्रदूषक जल-निकायों में स्रावित हो सकता है जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण मंत्रालय, भा स द्वारा लक्सर स्थित आसवनी को दी गयी पर्यावरणीय अनुमति जारी किये गये निर्देश (मई 2006), एवं उ प नि प्र नि बो द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 हेतु इस आसवनी को जारी सी सी ए के निर्देशों के अनुसार आसवनी का उत्पादन 60 किलो ली प्रतिदिन (के एल पी डी) सीमित किया गया था। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश⁷⁸ के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिदिन अधिष्ठापित क्षमता (वार्षिक लाइसेंस पर आधारित) से अधिक उत्पादन करने वाली आसवनियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

लक्सर स्थित आसवनी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आसवनी ने अवैध रूप से (2014-15 से 2016-17) 2.74 लाख बी एल (2.68 लाख ए एल) मदिरा का अपनी प्रतिदिन अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन किया था जिस पर ₹41.14 करोड़ का जुर्माना आरोपणीय था (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.4** में वर्णित है)।

आगे, सी पी सी बी द्वारा जारी निर्देशों (सितम्बर 2005) के अनुसार बाजपुर स्थित आसवनी का उत्पादन 20 के एल पी डी सीमित किया गया था जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त को आसवनी में नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा आसवनी के वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 के पी डी-2 लाइसेंस नवीनीकरण के समय दी गयी थी। तथापि, आसवनी द्वारा अवैध रूप से अपनी प्रतिदिन अधिष्ठापित क्षमता से अधिक 3.50 लाख बी एल (3.33 लाख ए एल) मदिरा का उत्पादन (वर्ष 2014-15 से 2016-17) किया गया था जिस पर ₹46.61 करोड़ का जुर्माना आरोपणीय था (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.4** में वर्णित है)।

आगे, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उक्त दोनों आसवनियों पर ₹69 लाख⁷⁹ का जुर्माना भी आरोपणीय था (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.4** में वर्णित है)।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने अवगत कराया (दिसम्बर 2017) कि मदिरा का उत्पादन, उत्पादन व आसवन (पी डी-2) लाइसेंस के अनुसार वार्षिक उत्पादन सीमा के अंतर्गत था। तथापि, उत्तर भा स के साथ-साथ आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों में निर्धारित सीमा की अनदेखी करता है, अतः मान्य नहीं था।

2.7.4 अपेक्षित परीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण का अभाव

2.7.4.1 शीरे के नमूनों का परीक्षण

अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 710 के अनुसार आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा क्रमबद्ध तरीके से तीन आउट-टर्न्स में उपभोग किये गये शीरे के नमूने लिये जाने चाहिए और इनको तीन बराबर भागों में बाँटना चाहिए। आसवक द्वारा एक भाग को राज्य सरकार के रसायन परीक्षक अथवा

⁷⁸ आदेश सं 8639-8851/नौ/233 (बाजपुर)/इला दिनांक, नवम्बर 27, 1996।

⁷⁹ लक्सर की आसवनी: ₹ 27 लाख व बाजपुर की आसवनी: ₹ 42 लाख।

आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था के पास कि श की प्रतिशतता के निर्धारण हेतु भेजा जाना चाहिए। यदि शीरे के नमूनों का परीक्षण नहीं किया जाता है तो शीरे में उपलब्ध कि श की प्रतिशतता एवं मदिरा के न्यूनतम उत्पादन जो कि आसवक द्वारा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम प्राप्ति के अनुसार किया जाना था, का निर्धारण नहीं हो सकेगा। एक आसवनी⁸⁰ के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान शीरे के 26 नमूने परीक्षण के लिये नहीं भेजे गये थे और आसवक को 18 नमूनों की आख्याएँ प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2016-17 में तीन आसवनियों⁸¹ से सम्बन्धित शीरे के 11 बैचों की आख्याएँ आसवक को प्राप्त नहीं हुई थी। समस्त आसवनियों द्वारा प्रयोगशाला को भेजे गये शीरे के नमूनों की आख्याएँ 14 दिनों की निश्चित अवधि उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुई थी। शासन द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2017) कि एक आसवनी (मै आर बी एन एस आसवनी) द्वारा भेजे गये अधिकांश नमूनों की आख्याएँ प्राप्त हो गयी हैं और विभागीय अधिकारियों को शेष आख्याएँ उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं। तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में मदिरा की प्राप्ति (अर्थात् मदिरा उत्पादन हेतु उपभोग किये गये शीरे में उपलब्ध किण्वीय शर्करा की प्रति कुंतल मात्रा से 52.5 ली मदिरा प्राप्ति) सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि या तो नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे नहीं गये थे अथवा आसवक को सम्बन्धित प्रयोगशाला आख्याएँ प्राप्त नहीं हुयी थीं।

2.7.4.2 आबकारी ताले एवं आबकारी उपकरण की आपूर्ति न किया जाना

अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 735 व 736 द्वारा प्रावधान किया गया है कि भट्टी के चार्जिंग एवं डिसचार्जिंग नलिकायें, मद्यसार की समस्त सुरक्षाएँ, समस्त मुख्य दरवाजे, कॉक्स अथवा भट्टी के दूसरे खुलाव, मद्यसार टंकी, मद्यसार रिसीवर एवं मद्यसार के अन्य पात्रों को आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रारूप के आबकारी तालों से सुरक्षित किया जाना चाहिये। सभी कमरों जो मद्यसार भंडारण के लिये प्रयोग किये जाते हैं, के दरवाजों पर दोहरे ताले जिनकी चाबी आपस में बदली न जा सके, की व्यवस्था होनी चाहिए और इनमें से एक आबकारी ताला जो कि आबकारी निरीक्षक के प्रभार में व दूसरा आसवनी ताला जो कि आसवनी स्वामी के प्रभार में होना चाहिए। आगे, नियम 817 में यह प्रावधान है कि प्रारूप पी डी 4 में राजकीय संपत्ति की भण्डार पंजिका का रखरखाव आसवनी में किया जाना चाहिए। आबकारी तालों एवं समस्त आबकारी उपकरणों जैसे हाइड्रोमीटर, सक्करोमीटर, थर्मोमीटर, एल्कोहलमीटर व टेस्ट-ग्लासों आदि का विवरण पंजिका में अंकित किया जाना चाहिये।

समस्त चार आसवनियों⁸² द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा अपेक्षित 54 तालों के सापेक्ष तीन आसवनियों⁸³ में एक भी ताला उपलब्ध नहीं कराया गया था और एक आसवनी में 10 ताले उपलब्ध कराये गये थे। उपकरण के संबंध में, लक्सर में कोई भी उपकरण

⁸⁰ लक्सर की आसवनी।

⁸¹ कुआँवाला, बाजपुर व काशीपुर की आसवनियाँ।

⁸² लक्सर, बाजपुर, कुआँवाला व काशीपुर की आसवनियाँ।

⁸³ लक्सर, बाजपुर व काशीपुर।

उपलब्ध नहीं कराया गया था। आसवक स्वयं के तालों व उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे। इसलिये, मद्यसार व मदिरा की चोरी से इन्कार नहीं किया जा सकता।

शासन द्वारा सूचित किया गया (दिसम्बर 2017) कि सम्बन्धित आबकारी अधिकारियों द्वारा आबकारी तालों और उपकरण की मांग की गयी थी।

2.7.4.3 नीति का अनुपालन न किया जाना

राज्य आबकारी नीति, 2015-16 में देशी मदिरा के साथ राज्य में उत्पादित फलों के रस को मिलाये जाने का प्रावधान है। आसवक को इस आशय का शपथपत्र/प्रमाणपत्र देना है कि प्रयुक्त फल उत्तराखण्ड राज्य का ही उत्पाद थे। आगे, आबकारी नीति 2015-16 में समस्त आसवनियों को राज्य स्तर पर एक चौथाई देशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है। समस्त आसवनियों एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा अवधि 2015-16 हेतु उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह ज्ञात हुआ कि आसवक देशी मदिरा के साथ फलों का रस मिश्रित नहीं कर रहे थे। आगे, यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा आसवनियों को राज्य स्तर पर देशी मदिरा की एक चौथाई आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई दिशा-निर्देश या निश्चित लक्ष्य नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को शासन द्वारा (दिसम्बर 2017) स्वीकार किया गया।

2.7.4.4 जी-6 पंजिका का रखरखाव न किया जाना

आबकारी विभाग की समस्त प्राप्तियाँ जी-6 पंजिका में अंकित की जाती हैं। विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रयोगशाला द्वारा भी जी-6 पंजिका का रखरखाव एवं प्राप्तियों का सत्यापन/मिलान किया जाना अपेक्षित है।

कार्यालय आबकारी आयुक्त के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि प्रयोगशाला आसवनियों से प्राप्त शीरे व मदिरा के नमूनों की जाँच कर रही थीं जिसके लिये जाँच शुल्क का भुगतान आसवनियों द्वारा चालान के माध्यम से किया जा रहा था। ये लेन-देन जी-6 पंजिका में अंकित किये जाने थे। तथापि, आसवनी द्वारा जी-6 पंजिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। प्रयोगशाला द्वारा जी-6 पंजिका का रखरखाव न किये जाने के कारण लेखापरीक्षा सरकारी प्राप्तियों के राजकोष में प्रेषण की सत्यता प्रमाणित करने में असमर्थ रहा।

शासन ने (दिसम्बर 2017) लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अवगत कराया गया कि जिला स्तर पर जी-6 पंजिका के रखरखाव हेतु आवश्यक प्रबंध किये जा रहे हैं।

2.7.4.5 सहायक आबकारी आयुक्त (या जिला आबकारी अधिकारी) द्वारा निरीक्षण

आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश दिनांक 04.01.2004 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सहायक आबकारी आयुक्त (स आ आ) या डी ई ओ द्वारा निरीक्षण किये जाने हैं।

डी ई ओ⁸⁴ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 अवधि के दौरान स आ आ (या डी ई ओ) ने अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित आसवनियों, अनुबंधित गोदामों या चीनी मिलों का निरीक्षण नहीं किया था जिसका प्रभाव आंतरिक नियंत्रण पर पड़ा व उपरोक्त चर्चा किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ।

⁸⁴ डी ई ओ, हरिद्वार; डी ई ओ, ऊधम सिंह नगर व डी ई ओ, देहरादून।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति (दिसम्बर 2017) को स्वीकार किया गया और अवगत कराया गया गया कि मापदंडों के अनुसार आवश्यक निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

निष्कर्ष

विभाग द्वारा मदिरा में निर्धारित मात्रा से अधिक एल्कोहल स्तर होने पर इयूटि अधिरोपित नहीं की गयी एवं पारगमन के दौरान टी आर एस व शीरे की क्षति होने पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी थी। आसवनियाँ न्यूनतम उत्पादन, किण्वन व आसवन दक्षता प्राप्त करने में असफल रहीं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने गलत ढंग से पुनःआसवन पर छीजन व बी डब्ल्यू एफ एल-2 के लाइसेंस शुल्क के समायोजन की अनुमति दी। आगे, विभाग आसवनियों द्वारा वर्षाकाल के दौरान अनाधिकृत रूप से मदिरा का उत्पादन करने, पर्यावरणीय मानकों का पालन न किये जाने पर जुर्माना अधिरोपित करने में असफल रहा। यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय जैसे कि आबकारी ताले आसवनियों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

भूगर्भ एवं खनन विभाग तथा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग

2.8 स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

सही दरों को लागू न किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.05 लाख राजस्व की क्षति हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा स्टा अधिनियम), 1899 की धारा 33(1) में उपबन्धित है कि साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति एवं सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सिवाय एक पुलिस अधिकारी के, उस विलेख को जब्त कर लेगा यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस साक्ष्य पर उचित मूल्य के स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। आगे, महानिरीक्षक, पंजीयन के द्वारा निर्गत परिपत्र (सितम्बर 2013) में आदेश दिया गया कि विलेख को इस प्रकार जब्त करने वाला अधिकारी उसकी एक प्रति जिलाधिकारी को भेजेगा। धारा 35 के द्वारा उक्त व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि उचित स्टाम्प शुल्क के बिना विलेख साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे। पुनः, भा स्टा अधिनियम की अनुसूची 1 ब के अनुच्छेद 35 एवं भारतीय पंजीयन अधिनियम (भा प अधिनियम), 1908 की धारा 17(1)(घ) में क्रमशः प्रावधान है कि एक वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष तक की लीज पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाये एवं ऐसी लीजों का अनिवार्य पंजीयन भी किया जाय।

(अ) जिला खनन अधिकारी, देहरादून एवं जिला खनन अधिकारी, चमोली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों (देहरादून) एवं तीन स्टोन क्रैशर स्वामियों (चमोली) के द्वारा प्रस्तुत किराया समझौता विलेखों पर लागू दरों⁸⁵ से स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। उसके विपरीत किराया समझौता ज्ञापनों को मात्र ₹ 50 (एक समझौता ज्ञापन) एवं ₹ 100 (20 समझौता ज्ञापन) के स्टाम्प शुल्क पर ही सम्पादित कर दिया गया था। जिला खनन अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित नियमों

⁸⁵ औसत वार्षिक किराया ₹ 9,930 एवं ₹ 30,000 प्रतिवर्ष।

के प्रावधानों के अनुसार जब्त न करके इन्हें स्वीकार्य कर दिया जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹5.92 लाख मूल्य के स्टाम्प शुल्क (जैसाकि **परिशिष्ट-2.8.1** में वर्णित है) की क्षति हुई।

यह इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभागीय नियमों एवं नीतियों में स्टाम्प शुल्क की गणना के विषय में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलेखों की प्रभार्यता भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के क्षेत्राधिकार में आती है और जिला खनन अधिकारी विलेखों को स्वीकार्य करने हेतु अधिकृत होने के कारण यह सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार थे कि सभी विलेखों पर उचित स्टाम्प शुल्क भुगतान किया गया था।

(ब) जिला खनन अधिकारी, चमोली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो पट्टा विलेखों में जिसमें से एक की अवधि एक वर्ष नौ माह एवं दूसरे की अवधि एक वर्ष आठ माह थी, वास्तविक लागू दरों⁸⁶ पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। इसके विपरीत, उन विलेखों पर कम स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया जिसके कारण शासन को ₹8.13 लाख (जैसाकि **परिशिष्ट-2.8.2** में वर्णित है) के स्टाम्प शुल्क का कम भुगतान हुआ।

यह इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी, चमोली ने बताया कि यह पट्टा विलेख स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के उपनिबन्धकों द्वारा पंजीकृत किये जाते हैं एवं स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान का मामला उनके समक्ष ही उठाया जाना चाहिए। तथापि, जिला खनन अधिकारी कम स्टाम्प शुल्क भुगतान वाले पट्टा विलेखों जिन्हें उनको प्रस्तुत किया गया है, के जब्त करने के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं जैसाकि उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान किये गये हैं।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (जुलाई 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

खनन विभाग

2.9 अर्थदण्ड का न्यूनारोपण

खनिज के अवैध खनन/परिवहन के अपराधों में गलत दरों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹29.75 लाख के अर्थदण्ड का न्यूनारोपण हुआ।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 13(2)(ब) के अनुसार उपखनिज के अवैध खनन/परिवहन के दोषी पाये गये लोगों पर ₹25,000 का दण्ड (जुर्माना) लगाने का प्रावधान है। इसके तुरन्त बाद अर्थदण्ड को संशोधित कर ₹2.00 लाख कर दिया गया (31 जुलाई 2015)।

जिला खनन अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि जुलाई और अगस्त, 2015 के दौरान अवैध खनन से सम्बन्धित 17 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया। इन 17 मामलों में दण्ड संशोधित दर ₹2.00 लाख के बजाय पूर्व दर ₹25,000 पर वसूला गया था। अतः दण्ड कम लगाये जाने के परिणामस्वरूप ₹29.75 लाख राजस्व की हानि हुई (जैसाकि **परिशिष्ट-2.9.1** में वर्णित है)।

⁸⁶ वार्षिक पट्टा किराया के तीन गुणे का दो प्रतिशत।

इस ओर इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी, देहरादून द्वारा अवगत कराया (नवम्बर, 2016) कि इन अपराधों का शमन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था, जो कि उत्तराखण्ड उपखनिज रियायत (छूट) नियमावली, 2001 के नियम 75 के अंतर्गत इस तरह के अपराधों के लिये प्राधिकृत थे। इसलिये, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खनिज के अवैध खनन/परिवहन के अपराधों में गलत दरों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.75 लाख के अर्थदण्ड का न्यूनारोपण हुआ।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (अप्रैल 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.10 रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण

खनन लाईसेन्स पर संशोधित दरों को लागू न करने और ईट भट्टों का पता न लगाने के कारण ₹ 39.23 लाख की रॉयल्टी न्यूनारोपण/अनारोपण हुआ।

(i) उत्तराखण्ड उपखनिज रियायत (छूट) नियम, 2001 के नियम 54 के अनुसार उपखनिजों के लिये लाईसेन्स धारक द्वारा लाईसेन्स के अनुमोदन की सूचना के 15 दिनों के अन्दर रॉयल्टी जमा करने के लिये, जैसाकि लाईसेन्स के अनुमोदन के समय लागू है, प्रावधान करता है। मिट्टी और आर बी एम (नदी तल सामग्री) की दर क्रमशः ₹ 50 प्रति टन एवं ₹ 194.50 प्रति घनमीटर थी, जो कि दिनांक 26 फरवरी, 2016 से प्रभावी थी, जबकि उनकी पिछली दर क्रमशः ₹ 8 प्रति घनमीटर एवं ₹ 90 प्रति घनमीटर थी।

जिला खनन अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि खनन लाईसेन्स के सात मामलों में रॉयल्टी कम थी क्योंकि इसे मार्च 2016 में, लाईसेन्स के स्वीकृत के समय लागू संशोधित उच्च दर के बजाय कम दरों पर लागू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 30.88 लाख धनराशि की रॉयल्टी की क्षति हुई (जैसाकि **परिशिष्ट-2.10.1** में वर्णित है)।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी देहरादून ने बताया (अक्टूबर 2016) कि रॉयल्टी का न्यूनारोपण लाईसेन्स के प्रस्तावों को 26 फरवरी 2016 को दरों के संशोधित होने के पूर्व ही अग्रेषित किये जाने के कारण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वर्णित नियम से स्पष्ट है कि जहां पर लाईसेन्स दरों के संशोधित होने के पश्चात् अनुमोदित किये गये थे, वहाँ पर रॉयल्टी की संशोधित दरों को लागू किया जाना था।

(ii) ईट भट्टों के द्वारा प्रयोग की गयी मिट्टी पर रॉयल्टी के भुगतान की समाधान योजना⁸⁷ (अक्टूबर 2009) में अपेक्षित है कि कार्यरत ईट भट्टों की संख्या का निर्धारण विभाग द्वारा, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत ईट भट्टों की सूचना एकत्रित करके, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं पटवारियों के द्वारा प्रस्तुत सूचना से किया जाय।

जिला खनन अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2016) में पाया गया कि विभाग के द्वारा कार्यरत ईट भट्टों की पहचान के लिए उपरोक्त वर्णित आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप कार्यरत ईट भट्टों की पहचान नहीं की जा सकी (2012-13 में दो, 2013-14 में दो, वर्ष 2014-15 में चार और 2015-16 में तीन) जैसाकि लेखापरीक्षा के द्वारा

⁸⁷ इस योजना में, रॉयल्टी की धनराशि ईट भट्टों की उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

वाणिज्य कर विभाग से एकत्रित की गयी सूचना से स्पष्ट होता है। अभिलेखों⁸⁸ की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि इन गैर-चिन्हित ईट भट्टों से उपरोक्त वर्षों में कोई भी रॉयल्टी वसूल नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप, तत्समय लागू दरों⁸⁹ के आधार पर 2012-13 से 2015-16 की अवधि में ₹ 8.35 लाख की रॉयल्टी का अनारोपण हुआ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.10.2** में वर्णित है)।

शासन ने समाधान योजना के विषय में अवगत कराया (मई 2017) कि चूंकि ईट भट्टों के स्वामियों ने इस योजना हेतु प्रश्नगत अवधि में आवेदन नहीं किया इसलिए जिलाधिकारी ने खनन लाईसेन्स जारी नहीं किया है। यह उत्तर न्यायसंगत नहीं है क्योंकि समाधान योजना की शर्त 9 के अनुसार यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह वाणिज्य कर विभाग/प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में पंजीकृत ईट भट्टों तथा तहसील में की गयी जाँच के आधार पर ईट भट्टों की प्रमाणित सूचना प्राप्त करें। इसलिए खनिज लाईसेन्सों पर संशोधित दरों को लागू न किये जाने तथा ईट भट्टों को चिन्हित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 39.23 लाख⁹⁰ की रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण हुआ।

प्रकरण शासन को (प्रस्तर के प्रथम भाग के प्रकरण में) सन्दर्भित किया गया (अप्रैल 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

⁸⁸ रॉयल्टी जमा से सम्बन्धित पंजिका।

⁸⁹ ईट भट्टों की उत्पादन क्षमता के आधार पर आरोपित धनराशि ₹ 69,000 एवं ₹ 81,600 के मध्य प्रति वर्ष रहती है।

⁹⁰ ₹ (30.88+8.35) लाख।